Rj

(Covid-19)

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांकः–व–15( ) आर.पी.ए. / जन / कोरोना / 20 / 3566 दिनांकः– 20/4/21

आदेश

कोरोना वायरस (Covid-19) के दूसरी लहर के बढते हुये प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये रोकथाम हेतु भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न एडवाइजरी जारी की जा रही है। संस्था में स्थित समस्त कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को उक्त संक्रमण से बचाव हेतु राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9 / 2019 दिनांक 14.04.2021 एव दिनांक 18.04.2021 के क्रम में निम्नलिखित गाईडलाईन जारी की जाती है :–

- संस्था के समस्त गेट अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे। अधिकारियों / कर्मचारियों / प्रशिक्षणार्थियों / आगन्तुकों का प्रवेश मुख्य प्रवेश द्वार से ही होगा।
- संस्था में प्रवेश करने वाले आगन्तुक गण को सेनेटाइज किया जावे एवं उनका रजिस्टर मे इन्द्राज किया जावें। जिसनें आगन्तुक का नाम, मोबाईल न0 एंव स्थाई पते का विवरण अंकित किया जावे।
- संस्था के समस्त प्रशासनिक भवनों एवं आवासीय भवनों की विशेष तौर पर साफ–सफाई की जावें एवं भवनों के मुख्य द्वार पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाये साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराईड की फोगिंग करवाई जावे।
- संस्था में सभी कोर्सेज के प्रशिक्षणार्थियों एवं सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु रोकथाम हेतु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग करायी जावे।
- संस्था के राजकीय चिकित्सालय में समस्त चिकित्सक / नर्सिंग स्टाफ द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क एवं पीपीई व अन्य सामग्री तैयार रखी जावे।
- संस्था में संचालित इण्डोर कोर्सो के स्थान / कक्ष को बदली कर बड़े स्थानों में कक्षाएं लगाई जावे, जहां प्रशिक्षणार्थियों के मध्य आवश्यक दूरी रह सके। साफ–सफाई का विशेष ध्यान दिया जावे।
- संस्था में संचालित इण्डोर कोर्सो में अधिकारियों / कर्मचारियों को निश्चित दूरी पर बैठाया जावे व कालांश प्रवेश / बदलने पर हाथों को सेनेटाइज़ करवाया जावे।
- संस्था में आउटडोर गतिविधियां जैसे – पी.टी., दौड़, स्क्वॉड ड्रिल, मार्का, चैक रोलकॉल इत्यादि में 6 फीट (2 गज) की दूरी की पालना की जावें। आउटडोर प्रशिक्षण के लिए डी0पी0 कोत से हथियार लेते व जमा कराते समय उचित सामाजिक दूरी रखी जाये।
- कोरोना वायरस से बचाव हेतु संस्था के सरस्वती हॉस्टल के विश्राम कक्ष को क्वारेनटाईन सेंटर आरक्षित किया जाता है जिसकी साफ–सफाई व समुचित व्यवस्था की जावे।
- संस्था में स्थित समस्त मैसों में प्रशिक्षणार्थी एक साथ भोजन नही करें। तीनों समय भोजन के लिए इन्हें कम से कम एक मीटर दूरी में बैठाकर भोजन करवाया जावें। सभी मैसों मे दोनो समय काढे का वितरण किया जावे।
- संस्था मे स्थित दुर्गा माताजी के मन्दिर मे दोनों गेट बंद रखें जावें। श्रृद्धालुओं को गेट के बाहर से ही दर्शन की अनुमति दी जावे।
- संस्था स्थित जनरल केन्टिन गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार सांय 5 बजे आवश्यक रूप से बंद कर दी जावे एवं सामान विक्रय के लिए निर्धारित गोले बनाये जावे।

- कोरोना वायरस के बढते प्रकोप को देखते हुए संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों के आउटपास एवं अवकाश अग्रिम आदेश तक बंद किये जाते है।
- फेसमास्क पहनना अनविार्य होगा **"नो मास्क–नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना की जावे।
- सभी प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी, अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर रहें।
- कक्षा, हॉस्टल व आउटडोर गतिविधियों क दौरान एक दुसरे से पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें।
- आवश्यकतानुसार एवं उचित समयावधि पर साबुन से हाथ धोते रहें। सेनिटाइज करते रहें।
- एक जगह इकट्ठे नही हों, व्यक्तिगत सामान (ग्लास, नैपकिन आदि) शेयर नही करें।
- पानी पीने के लिए अपनी व्यक्तिगत बॉटल का उपयोग करें।
- बुखार या गले मे खराश, शरीर मे टूटन आदि लक्षण महसूस होने पर तुरन्त कोर्स डायरेक्टर/आर.आई./प्रशासन को सूचित करे और दूसरो से दूरी बना लें। टेस्ट करावे और पोजिटिव रिपोर्ट आने पर खुद को कारेन्टाईन करें।
- मैस मे भोजन, चाय आदि के लिये एक साथ नहीं जावें। टुकडो में अलग अलग समय में जावे।
- इन्डोर व आटडोर कक्षाओ में जाते हुए/सामूहिक रूप से चलते हुए 1 पंक्ति मे कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें। तीनो तीन में न चलें।
- कार्यदिवस में प्रशिक्षण समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से नहाएँ।
- अपनी वर्दी कपडे नियमित रूप से डिटर्जेन्ट से धोए। स्वच्छता को अपनाएँ।
- दरवाजे/खिडकियों/नलों आदि का उपयोग करते हुए अपने सामान्यतया काम मे न आने वाले (non-dominant hand) हाथ का प्रयोग करें।
- नियमित रूप से मास्क धोएँ ओर मास्क चेंज करते रहें।
- अपने मास्क को बार–बार हाथ न लगाएँ।
- छींक आते समय अपनी बॉह मे ही छीके।
- हाथ न मिलाएँ। एक दूसरे से गले न मिले।
- खुले मे न थूकें, टिश्यू आदि इस्तेमाल करके खुलें मे नही फेके, बल्कि निर्धारित डस्टबीन/कचरा पात्र का प्रयोग करें।
- अपने मित्रों व रिश्तेदारों से मिलने ना जाएँ व ना ही उन्हे मिलने के लिये बुलाएँ।
- आपस में किताबों/नोटबुक्स/कापियॉ आदि नहीं बदलें। अपनी किताबे/नोटबुक्स स्वयं तक सीमित रखे।
- जो प्रशिक्षणार्थी/प्रशिक्षु कोरोना पाजिटिव पाए गये है वे हॉस्टल में रखे गये पल्स आक्सीमीटर से दिन में चार बार तीन–तीन घण्टे से अपना सेचुरेशन लेवल (Oxygen level) चैक करेगें और उपलब्ध (Infrared) थर्मोमीटर से शारीरिक तापमान चैक करेगें और उसका एक चार्ट बनाऍगे। सैचुरेशन में असामान्य गिरावट आने पर तुरन्त हॉस्टल इन्चार्ज/आर.आई/कोर्स डायरेक्टर/प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करेंगे।
- वर्तमान में जो प्रशिक्षणार्थी कोरोना पोजिटिव हैं उन्हें सरस्वती हॉस्टल के विश्राम गृह में कोरेन्टाईन किया जाएगा।
- सरस्वती हॉस्टल में कोविड पोजिटिव का खाना रखने हेतु बर्तन मुख्य द्वार के समीप ही स्थाई रूप से रखे जाएगें।
- माही हॉस्टल में भी क्वारंटीन प्रशिक्षणार्थी का खाना रखने वाले बर्तन स्थाई रूप से प्रथम तल पर ही रखे जाएगें।
- अरावली हॉस्टल से सरस्वती एवं माही हॉस्टल में खाना वितरण करने हेतु बर्तन अलग से होगें।

- सरस्वती हॉस्टल मे खाना अरावली हॉस्टल की टीम द्वारा तैयार कर सभी एहतियात बरतते हुए वितरित किया जाएगा जो कि उनकी टीम द्वारा सरस्वती हॉस्टल के बर्तनों मे डाल दिया जाएगा। सरस्वती हॉस्टल के कुक उस खाने को वहॉ रह रहे प्रशिक्षणार्थियों में उनके (प्रशिक्षणार्थियों के) निजी बर्तनों मे डाल कर वितरित करेगें। वहॉ रह रहे सभी प्रशिक्षणार्थी खुद के बर्तन रखेगें और खाने के बाद उन्हे खुद ही साफ करेगें/धोऐंगें।
- खाना वितरण करने वाली टीम ग्लब्स व एन–95 मास्क और PPE किट पहनकर रहेगें।
- सभी हॉस्टल प्रभारी सामान्य खॉसी, जुखाम बुखार आदि की दवाईयॉ अपने पास उपलब्ध रखेगें।
- मैस प्रभारी/बैरक प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे कि कोर्स प्रशिक्षणार्थी गैरहाजिर न होने पाए। यदि ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी न केवल उक्त प्रभारियो की होगी अपितु गैरहाजिर प्रशिक्षणार्थी के रूममेट/कक्षा मॉनीटर को भी इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- प्रचलित अवधारणा के अनुसार शरीर में ऑक्सीजन लेवल (O_2 सेचुरेशन) कम होने की स्थिति में पेट के बल लेटना लाभदायक हो सकता है।

निर्देशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित की जावे।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को पालनार्थ प्रेषित है–

1. समस्त सहायक निदेशकगण, आर.पी.ए. जयपुर।
2. समस्त उप अधीक्षक पुलिस, आर.पी.ए. जयपुर
3. आर.आई (प्रशासन), आर.पी.ए. जयपुर।
4. समस्त शाखा प्रभारी/मैस प्रभारी/क्रैच, मन्दिर, आर.पी.ए. जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

Rdr (R.I)

22/4/21